न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :— श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— 55/2024

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हुन्दा पुत्र दोदा जाति मुसलमान, निवासी रामपुरा, हाथला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. अन्तरी पत्नी चूनाराम जाति जाट, निवासी रामपुरा, हाथला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 2. हलिमा पत्नी साहेबना जाति मुसलमान, निवासी रामपुरा, हाथला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार सेड़वा, जिला बाड़मेर।

उपस्थितः वादी वकील— श्री मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांकः— 10/03/2025

वादीनी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी एवं मालिकाना अधिकार के खेत मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 10 रकबा 1.2707 हैक्टेयर का आया हुआ है, जो भूमि वादी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के उक्त खेत खसरा संख्या 10 मौजा रामपुरा के सेढा पड़ौसी खातेदार है, जो बहुत ही बदमाश एवं झगडालू प्रवृति के तथा धनिक व बलशाली व्यक्ति है तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है जो संख्या बल में भी अधिक है तथा उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने प्रभाव एवं धनबल के आधार पर वादी के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 10 में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में से कुछ बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जो रकबा की जमीन न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है एवं न ही कब्जा काश्त की है। मात्र प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव तथा धन बल के आधार पर वादी के शांतिप्रिय व्यक्ति होने व उनके गरीबी का फायदा उठाकर वादी की जमीन को हड़पने के लिए उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। वादी ने अपने खेत की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा में आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया, जो राजस्व आवेदन संख्या 285/2023 अनवान हून्दा बनाम तारी वगैरा है। जिस पर न्यायालय श्री द्वारा वादी के आवेदन को स्वीकार कर वादी के खेत की पक्की नेखमबंदी हेतु तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया गया। जिस क्रम में तहसीलदार सेड़वा के आदेश के अनुसार हल्का पटवारी हाथला

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

व आर.आई. अरटी ने दिनांक 31.03.2024 को मौका निरीक्षण एवं मौका की जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार किया गया जिस पर वादी के खसरा संख्या 10 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैध होना पाया गया, जिसमें वादी के खसरा संख्या 10 में प्रतिवादी संख्या 1 का करीब 0.45 हैक्टेयर भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 2 का करीब 0.11 हैक्टेयर भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया है जो मौका नक्शा में स्पष्ट रूप से क्रमशः गुलाबी व हरा दर्शाया गया है जो भूमि वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 10 में होना पाया गया तथा अवैध रूप से बाड़ कर अतिक्रमण करना पाया गया। जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा, परन्तु प्रतिवादीगण ने कब्जा नहीं हटाया तथा कब्जा हटाने से स्पष्ट मना कर दिया, जिस पर हल्का पटवारी व आर.आई. ने वादीगण को प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की सलाह दी गई। जिस पर वादी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अवैध कब्जे को हटवाने के अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है और न ही उनके कब्जा काश्त की है। नकल फर्द मौका एवं नक्शा मौका साथ पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी के उक्त खेत खसरा संख्या 10 के सेढा पड़ौसी खातेदार है। जो बहुत ही बदमाश एवं झगडालू प्रवृति के तथा धनिक तथा बलशाली व्यक्ति है तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है जो संख्या बल में भी अधिक है तथा उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपने प्रभाव एवं धनबल के आधार पर वादी के उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 10 में शांतिपूर्वक कब्जा काश्त की भूमि में से कुछ बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है जो रकबा की जमीन न तो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है एवं न ही कब्जा काश्त की है। मात्र प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव तथा धन बल के आधार पर वादी के शांतिप्रिय व्यक्ति होने व उनके गरीबी का फायदा उठाकर वादी की जमीन को हड़पने के लिये उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिये वादी अपने उक्त भूमि पर जो प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर रखा है उस पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाना आवश्यक है। लेकिन प्रतिवादीगण धनबल एवं राजनैतिक रूप से प्रभावशाली होने से कब्जा हटाने में आना कानी कर रहे है इसलिये यह वाद बेदखली एवं वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन पर प्रतिवादीगण का जबरन कब्जा किया हुआ होने से प्रतिवादीगण को अवैध कब्जे से बेंदखल करवाकर कब्जा वादी प्राप्त करने हेतु यह वाद लाया गया है। वादी के उक्त शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त की खातेदारी की जमीन में से जो रकबा की जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन एवं अवैध रूप से कब्जा किया गया है जिसको इस वाद के जरिये बेदखल कर कब्जा नहीं हटवाया गया तो प्रतिवादीगण का कब्जा दिनोंदिन पक्का व पुख्ता हो जावेगा, जिसको भविष्य में हटाने में वादी को आर्थिक व मानसिक क्षति होगी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) सेड़वा

जिसकी पूर्ति भविष्य में कभी पूर्ण नहीं कर सकेंगे व प्रतिवादीगण जबरन व धनबल के आधार पर वादी की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि को हड़प लेगे, जिससे वादी को उक्त वाद आदि प्रस्तुत करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, इसलिये वादी को उक्त वाद आदि प्रस्तुत करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, इसलिये वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जो प्रतिवादीगण ने वादी के उक्त खातेदारी की भूमि में से कब्जा हटवाने के वाद वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वयं ही करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति करावें तथा न ही जबरन जमीन हड़ने के लिये बल का प्रयोग करें, जिसे यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रतिवादीगण जब वादी द्वारा अपने खातेदारी की भूमि की नेखमबंदी का आदेश करवाकर वादी के खेत की भूमि की पैमाईश की गई तथा दौराने पैमाईश वादी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 10 पर प्रतिवादीगण का अवैध अतिक्रमण पाया, जिस पर प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया और प्रतिवादीगण कब्जा पुख्ता करने के लिये तैयार हो गये, तब तब बमुकाम रामपुरा पटवार क्षेत्र हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में वाद कारण पैदा हुआ। वादी के खातेदारी की भूमि मौजा रामपुरा पटवार क्षेत्र हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 10 रकबा 1.2707 हैक्टैयार भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है, जो नेखमबंदी प्रकरण संख्या 285/2023 की मौका फर्द में दर्शाया गये अवैध कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाया जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादीगण वादी के शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त की जमीन में न तो स्वयं व न ही किसी अन्य से किसी प्रकार की दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से विशेष हर्जा खर्चा व हर्जाना के रूपये 20000/– दिलाये जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी कोई उप. नही हुआ, अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। वादी की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए वादी साक्ष्य में PW-1 हुन्दा पुत्र दोदा का साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किया। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ई.एक्स.पी.1 जमाबंदी मौजा रामपुरा के खसरा संख्या 10 रकबा 1.2707 हैक्टेयर, प्रदर्श ई.एक्स.पी. 2 नेखमबंदी पालना रिपोर्ट मौजा रामपुरा के खसरा संख्या 10 रकबा 1.2707 हैक्टेयर की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit) करवाए।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर वादी के अधिवक्ता ने बहस की। वादी अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वविवेक चित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा पेश दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

विचारण उपरांत, वादी का वाद संख्या 55/2024 उनवान हुन्दा बनाम अन्तरी वगैरा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के खातेदारी भूमि मौजा रामपुरा पटवार हल्का हाथला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 1–2707 हैक्टेयर खातेदारी भूमि पर मौका फर्द, दिनांक 31.03.2024 पी.02 में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बरंग गुलाबी व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा बरंग हरा मौका रिपोर्ट के नक्शे में दर्शित अवैध कब्जे को मौके से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर, नम्बर से कम हो। भूमिधारक तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी फर्द मौका दिनांक 31.03.2024 प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो तथा आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(बदीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

09/04/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 804

दिनांकः–05.04.2024

कार्य 9454 02

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

प्रेशितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विशयः– नेखमबंदी आदेश की पालना भिजवाने बाबत।

प्रसंगः–श्रीमान का पत्र क्रमांक भू.अ. / 2023 / 1653 दिनांक 01.11.2023 के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है राजस्व वाद संख्या 285 / 2023 निर्णय दिनांक 26.10.2023 अनवान हुन्दा बनाम तांरी वगैरह मौजा रामपुरा के खसरा नंबर 10 रकबा 1.2707 हैक्टर का भू मापक नियुक्त किया गया था। भू.अभिलेख निरीक्षक अरटी (भू मापक आयुक्त) द्वारा दिनांक 31.03.2024 को उक्त खसरान की मौके पर पैमाइश कर बिन्दु A से E कायम किये गए। बिन्दु A पर सहमति से पक्के नेखम लगाए गए। शेष बिन्दु B से E पर दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति व पड़ोसी खतेदारों का कब्जा होने से अस्थाई नेखम लगाकर सलंग्न नक्शा बरंग अवेध कब्जे को दर्शाया जाकर नेखमबंदी की फर्द मौका रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश की मूल रिपोर्ट प्रति हस्ताक्षर के इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलंग्न – उपरोक्तानुसार

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

भवदीय

तहसीलदार(भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prithviraj Parmar
Designation : Tehsildar
Date: 2024.04.05 19:00:30 IST
Reason: Approved

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर.......
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर.......

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम कोर्ट-2

सहायक कलेक्टर (SDO) सेंधवा

मौजा - रामपुरा
तहसील - सेंधवा

बिन्दु नाप - गट्ठे में

(1) A से B 61 गट्ठा
(2) B से C 58
(3) C से D 6
(4) D से E 54
(5) E से A 52

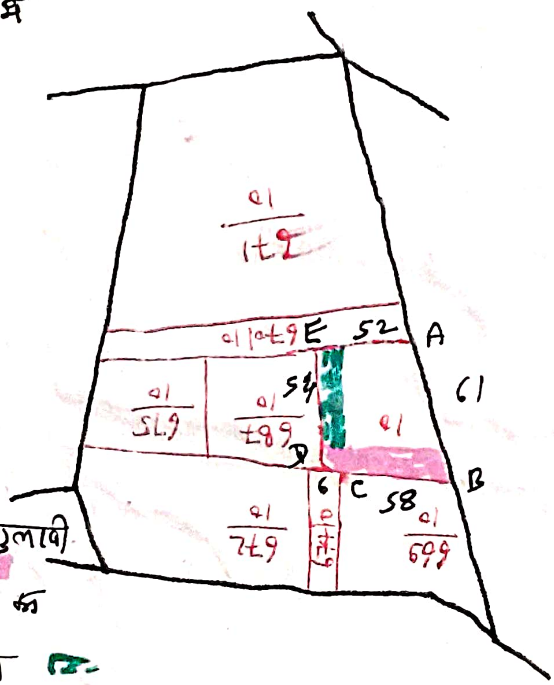

अंश कब्जा [illegible]

(1) अन्तरी पत्नी चुन्ना डॉम जाट का 0.45 हेक्टर भूमि बरंग-गुलाबी
(2) हलीमा पत्नी साहेबा मुसलमान का 0.11 हे० भूमि बरंग - हरा

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेंधवा

21/03/24
ILR [illegible]

प. [illegible]

नि. धुरा

नि. नगा

नि. नगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर.........
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर.........

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेंधवा

प्रदर्श कोर्ट/2

मौका फर्द

आज दिनांक 31/03/2024 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू.अ./4052-53 दिनांक 21/11/23 एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय सेड़वा के राजस्व आवेदन सं. 285/2023 अनवान हुन्दा बनाम तारी वगैरह में ग्राम रामपुरा के खसरा सं. 10 रकबा 1.2707 हैक्टर किस्म बा० सेवम भूमि की नेखमबंदी करने पटवारी हल्का हापला के साथ मौके पर आया।

मौके पर प्रार्थी, विप्रार्थी व अन्य मौतबरानो के रूबरू प्रार्थी हुन्दा पुत्र हेड़ा जाति मुसलमान के खेत खसरा सं. 10 की पैमाईश जिला कलक्टर भू अभिलेख शाखा बाड़मेर द्वारा जारी मोमीट्रेस क्रमांक 437/08/11/2023 एवं लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार की गई जिसके बिन्दु निम्नानुसार है:-

ग्राम रामपुरा के खसरा सं. 10 रकबा 1.2707 हेक्टर के बिन्दु सं. 'A' कायम कर A से B 61 गट्ठा, B से C 58 गट्ठा, C से D 6 गट्ठा, D से E 54 गट्ठा, E से A 52 गट्ठा नाप कर निशानात कायम किये, बिन्दु सं. A पर पक्का नेखम लगाया गया एवं बिन्दु सं. BCDE पर पड़ोसी खातेदार का ऐतराज होने पर अस्थायी नेखम लगाये गये बिन्दुओ BCDE पर पड़ोसी खातेदारो का अवैध कब्जा है अवैध कब्जा को संलग्न नक्शानुसार कलर अलग 2 दर्शाया गया है प्रार्थी के खेत की भूमि पर विप्रार्थी का निम्नानुसार कब्जा है -

क्र.सं.	अवैध कब्जाधारक	बरंग	कब्जे का प्रकार	रकबा
1.	अन्वरी पत्नी चुना जाट	गुलाबी	बाड़	0.45 हैक्टर
2.	हलिमा पत्नी साहेबना जाति मुसलमान सा. रामपुरा	हरा	बाड़	0.11 हेक्टर

उपरोक्त कब्जाधारियो द्वारा अपना कब्जा हटाने व पत्थर लगाने से मना किया, प्रार्थी व विप्रार्थीगण को विवाद नहीं करने व मौके पर शान्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई राजस्व आवेदन सं. 285/2023 अनवान हुन्दा बनाम तारी वगैरह में नेखमबंदी हेतु विप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस तामील करवाये गये फर्द मौका नेखमबंदी के साथ संलग्न नक्शाट्रेस जिन पर नेखमबंदी के बिन्दुओ का नाप अंकित है फर्द मौका का अभिन्न अंग है। फर्द मौका पढ़कर सुनाई गई तथा उपस्थितो के हस्ताक्षर/अं. निशान अंकित करवाये एवं विप्रार्थी चुनाराम व साहेबना ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

नकल तैयार कर्ता के हस्ताक्षर
नकल मिलान कर्ता के हस्ताक्षर

C.S

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

31/03/2024
ILR अरटी

प. हापला

हुन्दा

माइकुवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:13:22 IST
Reason: SelfAttested